[2019] 5 एस.सी.आर. 1131

मणि

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 540 सन् 2019) अप्रैल 01, 2019

[डॉ० धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 300, अपवाद 4, धारा 304 (भाग I) – सात आरोपियों पर मुकदमा – एक व्यक्ति की मौत और आठ लोगों को घायल करने के लिए – ट्रायल कोर्ट ने घायल चश्मदीदों की गवाही पर भरोसा करते हुए आरोपी नंबर 1 से 4 को धारा 302, 341 और 324 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। – तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया – उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत आरोपी नंबर 1 (अपीलकर्ता) की सजा को बरकरार रखा और आरोपी संख्या 2 से 4 को धारा 324 और 341 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।– अभियुक्त संख्या 1 द्वारा धारा 302 के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील। और धारा 302 के तहत आरोपी संख्या 2 से 4 को बरी करने को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा अपील। – माना गया: मौत का कारण बनने का कोई सामान्य इरादा नहीं था, विवाद की उत्पत्ति साबित नहीं हुई – चोटों के संबंध में गवाहों के बयान सुसंगत नहीं हैं, निजी बचाव की दलील भी नहीं दी गई है – हालांकि, सभी आरोपियों ने लगातार गवाही दी है कि मृत्यु अपीलकर्ता/अभियुक्त के कारण हुई थी। यह बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक हुई लड़ाई का मामला था – इसलिए, यह गैर इरादतन हत्या है – धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आने वाली हत्या की श्रेणी में नहीं।–इस प्रकार, यह धारा 304 (भाग I) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। – सजा को पहले से ही गुजरी हुई अवधि यानी सात साल से अधिक में बदल दिया गया है।

न्यायालय ने आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य की अपील को खारिज कर दिया

माना: 1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है कि मृत्यु कारित करने का कोई सामान्य इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे या वे उस स्थान पर परेशानी पैदा करने वाले समूह का हिस्सा थे। उत्पत्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा विवाद सिद्ध नहीं किया गया है। गवाह का बयान

चोटों के संबंध में सुसंगत नहीं हैं। हालाँकि, सभी घायल गवाहों ने लगातार अपीलकर्ता द्वारा मृतक की मृत्यु की गवाही दी है। [पैरा 11 और 18][1139–ए–सी: 1136–ई]

1131 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 5 एस.सी.आर.

2. यह दलील नहीं दी गई है कि अपीलकर्ता ने अपने निजी बचाव में काम किया। अपीलकर्ता को लगी चोट गंभीर नहीं है, इसलिए, वह मृतक की छाती पर हमला नहीं कर सकता था जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ऐसी चोट से मृत्यु होने की संभावना है। अपीलकर्ता निजी बचाव के अधिकार का हकदार नहीं है, जिसका विस्तार निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग में आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं है। [पैरा 20][1139–डी–ई]

3. आरोपियों को इस बात की कोई समझ या जानकारी नहीं थी कि पीड़ित घटना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि अभियुक्तों या पीड़ितों की राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। अपीलकर्ता का अचानक पीड़ितों से सामना हो गया और लड़ाई शुरू हो गई जिसमें मृतक और अन्य पीड़ितों को चोटें आईं। बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक हुई लड़ाई के मद्देनजर अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मृतक की मौत का कारण उसके सीने पर चाकू से वार करना है। ऐसी चोट इस ज्ञान के साथ है कि ऐसी चोट से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु कारित करने के किसी इरादे के बिना। इस प्रकार, मृत्यु एक गैर इरादतन हत्या है क्योंकि मृत्यु आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आने वाले अचानक झगड़े के कारण जोश में आकर हुई है। इसलिए, यह आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध है। [पैरा 21 और 22] [1139–एफ–एच; 1140–ए–बी]

4. अपीलकर्ता ने सात वर्ष से अधिक वास्तविक कारावास भोगा है। इसलिए, जिस पृष्ठभूमि और परिस्थितियों में घटना घटी, उसे ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को संशोधित किया जाना आवश्यक है, जबकि 20,000/– रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया है। [पैरा 23] [1140–बी–सी) मणि बनाम केरल राज्य और अन्य

धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य AIR 1978

एससी 1492; नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य

एआईआर 2011 एससी 2775: [2011] 7 एससीआर 1152 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

एआईआर 1978 एससी 1492 पैरा 15 का हवाला दिया गया

[2011] 7 एससीआर 1152 पैरा 15 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील

नंबर 540 सन् 2019

आदेश दिनांक 02.02.2016 से आपराधिक अपील संख्या 2144/2011 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय
साथ

आपराधिक अपील संख्या 541 सन् 2019

बसंत आर., के.एन. बालगोपाल, वरिष्ठ वकील, राघेंथ बसंत, सेंथिल जगदीसन, जी. प्रकाश, जिष्णु एम.एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, निशे राजेन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, ए.पी. मुकुंदन, सुश्री वित्रा रिया, अलीम अनवर, सुश्री नित्या नांबियार, रेनजिथ बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, ए. कार्तिक, बदुशा सुलेमान, सुश्री नमिता वली, राघव मेहरोत्रा, सुश्री लिज़ मैथ्यू। ––अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्ति 1. वर्तमान अपीलों में चुनौती दिनांक 02.02.2016 के फैसले को लेकर है जिसमें अपीलकर्ता–मणि को धारा 302 आई०पी०सी० के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि अन्य आरोपी यानी आरोपी नंबर 2–रत्नकुमार, 3–प्रवीण और 4–सेल्वराज को धारा 324 और 341 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए कायम रखा गया तथा धारा 302 के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया।

2. आपराधिक अपील संख्या 540 सन् 2019 अभियुक्त संख्या 1 के लिए धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध की सजा के खिलाफ है, जबकि आपराधिक अपील संख्या 541 सन् 2019 आरोपी संख्या 2–रथनाकुमार, 3– प्रवीण और 4–सेल्वराज (प्रतिवादी संख्या 2–4) को धारा 302 सपठित 34 आईपीसी के तहत बरी करने के खिलाफ है। इसमें पार्टियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष संदर्भित किया जाएगा।

3. पीडब्लू2– कुंचू के बेटे विश्वनाथन ने 28.09.2005 को रात में लगभग 11.00 बजे एक घटना के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई , जो उसी दिन लगभग 8.10 बजे रोजी स्कूल, चोझियामकोड के पास एक ढलान पर हुई थी। कथन यह है कि अभियुक्त 1 लगायत 4 भाजपा से सहानुभूति रखने वाले 4 लोगों ने, राजनीतिक दुश्मनी के कारण, शिकायतकर्ता और अन्य लोगों, जो सीपीएम से सहानुभूति रखते हैं, को मारने के इरादे और तैयारी के साथ एक–दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची, चाकू, वाडिवल तलवार और लोहे की रॉड जैसे खतरनाक

हथियार एकत्र किए, मोटरसाइकिलों में रोज़ी स्कूल के सामने चोझियामकोड आए। उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों को अवैध रूप से रोका। आरोपी नंबर 1–मणि ने सोमन को चाकू मारा, जबकि आरोपी नंबर 2–रत्नकुमार ने शिकायतकर्ता के चेहरे पर वाडिवल तलवार से हमला किया और आरोपी नंबर 3– प्रवीण ने अशरफ पीडब्ल्यू 3 को लोहे की रॉड से पीटा।

4. श्री वी. पज़ानिमाला, ए.एस.आई., वडक्कनचेरी पुलिस स्टेशन ने ऐसा बयान दर्ज किया और जांच अपने हाथ में ले ली। उन्होंने धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विश्वनाथन–पीडब्लू2 का बयान दर्ज किया। अपने पुलिस बयान में, उन्होंने कहा कि 28.09.2005 को लगभग 8.00 बजे वह (2) कबीर पुत्र मुहम्मद, (3) अशरफ पुत्र शेरी, (4) सोमन पुत्र अप्पुन्नी, (5) राजेश पुत्र करुमा (6) वेलायुधन के पुत्र अनिल कुमार, (7) सजीश और (8) कुमारन वडुकाथोडियिल के पुत्र सनोज मंगलम पुराने डाकघर के पास खड़े थे। वे चुनाव में पार्टी की सफलता के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि चोझियामकोड़ में भाजपा के लोग अशांति फैला रहे हैं। उनमें से आठ चोझियामकोड की ओर चले गए। जब वे रोजी स्कूल के सामने सड़क की ढलान पर पहुंचे तो उन्हें विपरीत दिशा से दो मोटरसाइकिलें आती दिखाई दीं। दोनों मोटरसाइकिलें रुक गईं। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि चारों आरोपी वाडिवल तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से लैस थे और उनकी ओर दौड़ रहे थे। आरोपी 1–मणि चिल्लाया कि सीपीएम कार्यकर्ता कौन है, इसे काट डालो और मार डालो और उसने सोमन की छाती पर चाकू से वार कर दिया। वह उसे रोकने गया, तभी आरोपी नंबर 2–रत्नकुमार ने उस पर वाडिवल तलवार से वार किया लेकिन उसने अपना सिर पीछे हटा लिया और तलवार उसके दाहिने गाल पर लगी। दूसरा वार उनकी नाक पर हुआ। उसने आरोपी नंबर 3–प्रवीण को हाथ में एक लंबी चीज लेकर अशरफ पीडब्लू3 के पास आते देखा। उन्होंने कहा कि वे सभी आठ घायल हो गए। अलार्म बजने पर माधवन का बेटा मणिकंदन , वडक्केथरा पुजक्कल परम्बु और चामुन्नी, वडुकाथोडी के सिजू बेटे दौड़कर आए लेकिन हमलावर भाग गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सोमन को मृत लाया गया था।

'कोड–मणि बनाम केरल राज्य और अन्य

[हेमंत गुप्ता, न्यायामूर्ति]

जबकि उसे और राजेश को गंभीर चोटें आई थीं। जांच पूरी होने पर तीन लोग विनोद, मोहनन और सेल्वराज सहित सात लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिन पर आईपीसी की धारा 212 सपठित 34 आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। इन तीनों को बाद में विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 को दिनांक 24.11.2011 के फैसले में दोषी ठहराया और अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 को आजीवन कारावास की सजा दी गई और धारा 341 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत एक अपराध के लिए एक महीने के

लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही धारा 324 सपठित 34 आईपीसी के तहत छह महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

6. पूरा अभियोजित मामला घायल पीडब्लू 2–विश्वनाथन, पीडब्लू 3–अशरफ अली, पीडब्लू 10–राजेश और पीडब्लू 13–अनिल कुमार, गवाहों की जांच पर आधारित है। अपीलकर्ता–मणि के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि अपीलकर्ता को 28.09.2005 को हुई घटना में चोट लगी है, जैसा कि पूर्व के रूप में चोट रिपोर्ट से पता चलता है। डी–2, जिसमें उन्होंने कहा है कि शाम लगभग 7.30 बजे, उन्हें पीडब्लू2– विश्वनाथन, मुहम्मद अली, मणिकंदन, पीडब्लू3–अशरफ और लगभग तीस अन्य व्यक्तियों ने छड़ी से पीटा था। यह चोट माथे पर 5 से.मी तक क्षत–विक्षत घाव है, जिसमें ताज़ा रक्तस्राव और खरोंच है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता ने निजी बचाव के अधिकार में काम किया था, इसलिए, धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती।

7. यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों की संख्या आठ थी, जो यह सूचना मिलने पर चोझियामकोड की ओर जा रहे थे कि चोझियामकोड में अशांति है क्योंकि पंचायत चुनाव में सीपीएम की जीत का जश्न मनाते समय फोड़े गए पटाखों में एक भाजपा कार्यकर्ता की साड़ी में आग लग गई थी। हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चोझियामकोड में कोई झड़प हुई थी। उपरोक्त इलाके के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उनके बयानों के अनुसार कथित आठ पीड़ित चोझियामकोड जा रहे थे। यह तर्क दिया गया है कि आरोपी इस तथ्य से बेखबर मोटरसाइकिल चला रहे थे कि पीड़ितों का समूह चोझियामकोड़ की ओर बढ़ रहा है। चूंकि, पीड़ित बड़ी संख्या में थे और अचानक आरोपियों से भिड़ गए, इसलिए अपीलकर्ता ने केवल खुद को बचाने की कोशिश की है।

8. साथ ही यह तर्क दिया गया है कि भले ही निजी बचाव के अधिकार का लाभ अपीलकर्ता को नहीं दिया गया है, यह अचानक बिना किसी पूर्वचिन्तन लड़ाई का मामला था और इसलिए, धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। यह धारा 304 भाग 2 के तहत अपराध के लिए सजा का मामला है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सभी घायल गवाह इस बात पर कायम हैं कि अपीलकर्ता–मणि के कहने पर उन्होंने पीड़ितों पर हमला किया है। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि आरोपी नंबर 2 से 4, उन हमलावरों का हिस्सा थे जिन्होंने पीड़ितों पर वाडिवल तलवार, चाकू और लोहे की रॉड जैसे हथियारों से हमला किया था। यह सामान्य इरादे का मामला है क्योंकि सभी आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर एक साथ आ रहे थे, चोटें पहुंचाईं और फिर एक साथ भाग गए। परिस्थितियों के आधार पर सामान्य इरादे का अनुमान लगाना आवश्यक है जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आरोपी का पीड़ितों पर जानलेवा हमला करने का इरादा था।

10. यह तर्क दिया गया है कि सामान्य आशय क्षणिक प्रेरणा से उत्पन्न हो सकता है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आरोपी कब रोज़ी स्कूल के नजदीक पहुंचा, हो सकता है उनका इरादा सामान्य न हो लेकिन जब उन्होंने पीड़ितों देखा उन्होंने पीड़ितों पर हमला करने का फैसला किया और इस तरह का हमला सामान्य इरादे से होता है।

11. हमने पाया कि आई चोटों के संबंध में गवाहों के बयान सुसंगत नहीं हैं। हालाँकि सभी गवाहों ने लगातार गवाही दी है कि मणि ने सोमन को चाकू मार दिया था और उसने दूसरों को हमला करने के लिए उकसाया था। पीडब्लू2–विश्वनाथन द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी चोझियामकोड की तरफ परेशानी पैदा कर रहे हैं। पीडब्लू 2 के रूप में पेश होते हुए, विश्वनाथन ने बताया कि दो–तीन व्यक्ति आए और कहा कि भाजपा समर्थक परेशानी पैदा कर रहे हैं। जिरह में, PW2 ने स्वीकार किया कि "साड़ी जलाने" की घटना एक अफवाह है। पीडब्लू 3–अशरफ अली ने गवाही दी कि जब वे रोजी स्कूल की ढलान के पास खड़े थे, तो चोझियामकोड के दो–तीन व्यक्ति आए और बताया कि भाजपा का झंडा गायब है और भाजपा के लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे यह पता लगाने के लिए उक्त स्थान पर जा रहे थे कि समस्या क्या है, तभी उन्होंने पश्चिम दिशा से दो बाइक आते देखीं। लेकिन चोझियामकोड़ में साड़ी जलाने या भाजपा का झंडा गायब होने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा पैदा की गई परेशानी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई है।

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट में, पीडब्लू 3–अशरफ पर अभियुक्त 3–प्रवीण द्वारा लोहे की रॉड से हमला किया जाना बताया गया है; जबकि अभियुक्त 2 रत्नकुमार ने शिकायतकर्ता पर वडिवल तलवार से हमला किया था। लेकिन साक्ष्य में, PW3–अशरफ अली ने गवाही दी कि आरोपी 2–रत्नकुमार ने उसकी नाक, बाएं हाथ और बाएं कंधे पर हमला किया, जबकि आरोपी 4–सेल्वराज ने उसे क्रिकेट स्टंप से मारा था।

मणि बनाम केरल राज्य और अन्य

[हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति]

13. कहा जाता है कि आरोपी 2–रत्नकुमार ने पीडब्लू2–विश्वनाथन को चोट पहुंचाई थी, लेकिन कहा जाता है कि रत्नकुमार (ए2) ने पीडब्लू3–अशरफ अली को चोट पहुंचाई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप नहीं है कि आरोपी 4–सेल्वराज के हाथ में क्रिकेट स्टंप था।

14. पीडब्लू10–राजेश ने उसी तरह गवाही दी जैसे अन्य दो गवाहों ने दी, सिवाय इसके कि उसने गवाही दी कि आरोपी नंबर 1–मणि, आरोपी नंबर 3– प्रवीण और आरोपी नंबर 2–रत्नकुमार के हाथों में चाकू थे और सेल्वराज के हाथ में क्रिकेट स्टंप था। आरोपी 3–प्रवीण के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने हाथ में चाकू से वार किया, बाएं हाथ और तर्जनी उंगली और छाती पर भी वार किया और जब वह मुड़ा तो पीठ और बाएं कंधे पर भी चाकू मारा। उन्हें नहीं पता कि क्या भाजपाइयों को पता था कि पीड़ित घटनास्थल पर खड़े हैं।

15. पीडब्लू13–अनिल कुमार ने गवाही दी कि आरोपी 2–रत्नकुमार के हाथ में चाकू था और उसने उसके माथे पर बाएं तरफ चोट पहुंचाई। आरोपी 4–सेल्वराज ने उसे क्रिकेट स्टंप से पीटा। ऐसे साक्ष्यों और पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र एक्स.पी 1 के आधार पर पीडब्ल्यू 8–डॉ. पी.सी. इग्नाटियस द्वारा सिद्ध किया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 34 की सहायता से आरोपी नंबर 2–4 को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि हंगामा हुआ था जिसमें पीड़ित घायल हो गए थे। उच्च न्यायालय ने धर्मपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य' और नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य' के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

16. चार घायल गवाहों के साक्ष्य की सराहना करते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन गवाहों को भाजपा समर्थकों द्वारा पैदा की गई परेशानी के बारे में सुनकर पहले ही चोझियामकोड़ पक्ष में जाने का फैसला किया जा चुका है, लेकिन उक्त तथ्य का मतलब यह नहीं होगा कि आरोपी दूसरे समूह के सदस्यों को ख़त्म करने का सामान्य इरादा रखता था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किये:

"54. निम्न न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करना ऊपर उल्लिखित और उसमें दिए गए परीक्षण को लागू करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि घातक चाकू की चोट आरोपी व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया है।

2AIR 1978 SC 1492 थी

3 एआईआर 2011 एससी 2775

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 5 एस.सी.आर.

55. सबसे पहले, आरोपी व्यक्तियों को इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि पीड़ित यह पता लगाने के लिए चोझियामकोड आएंगे कि भाजपा समर्थकों द्वारा किस बारे में हंगामा किया गया था और उन्हें तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि सोमन उस समूह में आ रहा है। यह सच हो सकता है कि दोनों समूह आपस में भिड़े हुए थे। लेकिन यह कहने से कोसों दूर है कि एक समूह हमेशा दूसरे समूह के सदस्यों को ख़त्म करने का साझा इरादा रखता है।

56. अभियोजन पक्ष के घटनाओं के अनुक्रम को देखते हुए भी, सोमन पर किया गया चाकू वार पहले अभियुक्त द्वारा एक सहज और अचानक किया गया कृत्य था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि पहले अभियुक्त द्वारा किया गया उक्त कृत्य अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में था। संभवत: साक्ष्यों से यह प्रतीत होगा कि अन्य आरोपी व्यक्ति हैं अर्थात् अभियुक्त संख्या 2, 3 और 4 को पहले अभियुक्त से इस तरह के कृत्य की उम्मीद नहीं थी और वे पहले अभियुक्त के उक्त कृत्य से

स्तब्ध थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन आरोपियों की संख्या पीड़ितों के समूह से कहीं अधिक थी, उन्हें उन पर हमला होने की आशंका थी और शायद यही कारण है कि पीडब्लू 2, 3, 10 और 13 कहेंगे कि जल्द ही हमलावरों के समूह के सदस्यों ने पीड़ितों को चाकू से दूर रखने के लिए ब्रांडिंग शुरू कर दी। यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देना नहीं भूल रहा है कि चोटें पीडब्लू 2, 3, 10 और 13 को दी गई थीं।

59. नीचे दी गई अदालत के इस निष्कर्ष को स्वीकार करना बेहद मुश्किल है कि सोमन पर घातक चाकू मारने के पहले आरोपी द्वारा किया गया कृत्य आरोपी संख्या 1 लगायत 4 के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में पहले से बताए गए कारणों से था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 34 की सहायता लेकर आरोपी नंबर 2 से 4 को दोषी ठहराना गलत प्रतीत होता है।"

17. उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि घायल गवाहों को चोटें पहुंचाना सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता–आरोपी मणि द्वारा प्रारंभिक चोट साझा किए गए सामान्य इरादे का परिणाम है। कोर्ट ने पाया कि हालांकि गवाह घायल हुए हैं लेकिन चोटें गंभीर नहीं हैं।

मणि बनाम केरल राज्य और अन्य

[हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति]

18. हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली कि सोमन की मृत्यु का कोई सामान्य इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि आरोपी चोझियामकोड़ में घटना स्थल पर मौजूद थे या वे उस स्थान पर परेशानी पैदा करने वाले समूह का हिस्सा थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस स्थान पर पटाखों के कारण साड़ी जलने या झंडा गायब होने की कोई घटना घटी हुई। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा विवाद की उत्पत्ति साबित नहीं की गई है।

19. पीड़ितों की संख्या आठ थी और वे पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाने के मूड में थे। उन्होंने चोझियामकोड की ओर जाने का फैसला किया। आरोपी अचानक सामने से दो मोटरसाइकिलों पर आ गया। अभियुक्तों में से एक को चोटें भी आईं, इस तथ्य को एक गवाह पीडब्लू2–विश्वनाथन ने भी स्वीकार किया है।

20. जो भी हो, तथ्य तो यही है कि सभी गवाह घायल हुए हैं अपीलकर्ता द्वारा सोमन की मृत्यु को दर्शाया गया। अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त आवेदन गंभीर नहीं है, अत: वह ऐसा नहीं कर सका मृतक की छाती पर हमला किया जो महत्वपूर्ण अंग है, ऐसी चोट से मृत्यु होने की संभावना है। इसलिए, अपीलकर्ता निजी बचाव के अधिकार का हकदार नहीं है, जिसका विस्तार निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग में आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं है। इसलिए, यह दलील नहीं बनती कि अपीलकर्ता ने अपने निजी बचाव में काम किया।

21. हालाँकि, अपीलकर्ता–मणि मोटरसाइकिल पर सवार होकर घटना स्थल पर पश्चिम दिशा से आया था। आरोपियों को इस बात की कोई समझ या जानकारी नहीं थी कि पीड़ित चोझियामकोड़ की ओर जा रहे हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि अभियुक्तों या पीड़ितों की राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। अपीलकर्ता का अचानक पीड़ितों से सामना हो गया और लड़ाई शुरू हो गई जिसमें मृतक और अन्य पीड़ितों को चोटें आईं।

22. बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक हुई लड़ाई के मद्देनजर अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मृतक की मौत का कारण मृतक सोमन के सीने पर चाकू से वार करना है। ऐसी चोट इस जानकारी के साथ है कि ऐसी चोट मृत्यु कारित करने की संभावना है, लेकिन मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार, सोमन की मौत एक गैर इरादतन हत्या है क्योंकि मौत आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आने वाले अचानक झगड़े के कारण जोश में आकर हुई है। इसलिए, यह आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध है।

23. यह बताया गया है कि अपीलकर्ता ने सात साल से अधिक वास्तविक कारावास भुगता है। इसलिए, जिस पृष्ठभूमि और परिस्थितियों में घटना घटी, उसे ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को संशोधित किया जाना आवश्यक है , जबकि 20,000/–रुपये का जुर्माना बरकरार रखा जा चुका है।

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलकर्ता–मणि द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 540 सन् 2019 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और केरल राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 541 सन् 2019 को खारिज कर दिया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी–अपीलें निस्तारित।

अनुवादकर्ताः
श्रीपाल सिंह
लघुवाद न्यायाधीश
सहारनपुर